न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 191/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती पुष्पा पत्नी कौशल किशोर पुत्री हिजूलाल जाति ब्राह्मण निवासी भागीपोल, जोधपुर 2– ओमप्रकाश दवे पुत्र द्वारकालाल 3– आनन्दप्रकाश दवे पुत्र द्वारकालाल जाति श्रीमाली ब्राह्मण निवासी अचलावतो का बास, ब्रह्मपुरी जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17–10–2014 जो उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 126/2009 अनवान श्रीमती पुष्पा वगैरा बनाम सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 29–8–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दान्धेडी तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 286, 287, 288 व 289 उनकी खातेदारी की आई हुई है जिसके नये नंबर 741/1, 741, 744, 742, 743 बनाये गये जिसमे अपीलांटगण की खातेदारी भूमि मे से 0.24 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज कर दी जो सलंग्न ओवरलेपिंग नक्शे के अनुसार ए.बी.सी.डी. ई.एफ.थी परंतु नये सेटलमेंट ई.एफ.भाग नक्शे मे गलती से हटा दिया गया तथा नक्शा व खतौनी गलत बनाये गये है । अपीलांटगण के खातेदारी भूमि का कुल रकबा 7.32 हेक्टेयर बनता है परंतु नये भू माप के समय 7.08 हेक्टेयर ही दर्ज किया गया । इसप्रकार अपीलांटगण की खातेदारी भूमि का रकबा कम दर्ज करने का भू माप विभाग को कोई अधिकार नही था तथा यह गलती राजस्व रेकर्ड के संधारण करते समय हुई, जिसको दुरस्त कर अपीलांटगण के खातेदारी का रकबा पूरा दर्ज किया जाये । अपीलांटगण के प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 13–8–2007 के द्वारा अर्पीलांटगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत की जाने पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25–6–2009 के द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत को तहसीलदार सोजत से रेकर्ड की वस्तुस्थिति की जानकारी कर प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य का न्यायोंचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया । उक्त आदेश की पालना मे उपखण्ड अधिकारी सोजत ने पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विवादित भूमि खसरा नंबर 744 का मौका मिलाना किया जिसमे उक्त खसरा के मौके की

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आकृति अनुसार नक्शा नही बनाना पाया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत बावजुद निर्देशो के राजस्व रेकर्ड से विवादित भूमि के रकबे की जांच नही की गई तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–10–2014 के द्वारा अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए नक्शे को दुरस्त करने के आदेश पारित कर दिये तथा खतोनी मे कम दर्ज रकबे को जोडने का कोई आदेश पारित नही किया । जिस पर अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश दिनांक 17–10–2014 के विरूद्ध पुर्नविलोकन (रिव्यु) करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय मे दिये गये निर्देशानुसार तथा मौके पर नक्शे की दुरस्ती पश्चात अपीलांटगण की खातेदारी के रकबे की शुद्धि किये जाने का निवेदन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 15–6–2017 द्वारा अपीलांटगण को सक्षम न्यायालय मे पुनः अपील दायर कर विधिसम्मत सहायता प्राप्त करने के विवेचन के साथ खारीज कर दिया जाने पर अपीलांटगण ने यह अपील निर्णय दिनांक 17–10–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे प्रश्नगत भूमि के रकबे की कमी बेशी के तथ्य को अपीलांटगण द्वारा साबित नही कर पाने के तथ्य का उल्लेख करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे प्रथम सेटलमेंट के नक्शे की तुलना मौके से करवाने के बाद नये सेटलमेंट के नक्शे की आकृति गलत पाई जाने के पश्चात मौके एवं पुराने नक्शे के अनुसार अपीलांटगण के खेत का नक्शा बनाये जाने का आदेश दिया गया तो नये नक्शे अनुसार प्रश्नगत भूमि का रकबा भी दुरस्त करने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड दुरस्ती की अधूरी कार्यवाही सम्पन्न की, जो दुरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण की ओर से अपने खातेदारी की पुरानी खतौनी एवं नई खतौनी की नकले प्रस्तुत की थी जिसमे वादग्रस्त भूमि का रकबा कम दर्ज किया जाना स्पष्ट साबित होता है तथा नये भू माप एवं पुराने भू माप मे वादग्रस्त भूमि के नक्शो की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रकबा कम दर्ज किया जाना साबित किया गया था तथा इन दोनो नक्शो को देखने से कम रकबा जिस खसरा नंबर मे जोडा गया है, वह भी स्पष्ट था तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार के जवाब मे भी उक्त रकबा पडौसी खसरा मे जाना साबित था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजो का गौर से अध्ययन किये बिना रकबा किस खातेदार के खाते मे दर्ज किया गया है, के तथ्य को स्पष्ट नही होना मानते हुए अपीलांटगण की इस्तदुआ को आंशिक स्वीकार करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–10–2014 का पुनर्विलोकन (रिव्यू) करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17–10–2014 मे रही त्रुटि दुरस्त योग्य दृष्टिगोचर होते हुए भी रिव्यु प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–6–2017 के द्वारा खारीज कर देने पर यह अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ, जिसमे विलंब को क्षमा करने का विस्तृत उल्लेख किया हुआ है, अतः अपीलांट की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए उक्त अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–10–2014 को संशोधित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के जरिये दुरस्त किये गये सेटलमेंट के नक्शे के रकबे अनुसार खतौनी बंदोबस्त तथा उसके पश्चातवर्ती समस्त चोसाला जमाबंदी मे रकबा दुरस्त किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ने बाद रिकार्ड की जांच के जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अनुरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलांटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दान्धेडी तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 286, 287, 288 व 289 उनकी खातेदारी की आई हुई है जिसके नये नंबर 741/1, 741, 744, 742, 743 बनाये गये जिसमे अपीलांटगण की खातेदारी भूमि मे से 0.24 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज कर दी जो सलंग्न ओवरलेपिंग नक्शे के अनुसार ए.बी.सी.डी.ई.एफ.थी परंतु नये सेटलमेंट ई.एफ.भाग नक्शे मे गलती से हटा दिया गया तथा नक्शा व खतौनी गलत बनाये गये है । अपीलांटगण के खातेदारी भूमि का कुल रकबा 7.32 हेक्टेयर बनता है परंतु नये भू माप के समय 7.08 हेक्टेयर ही दर्ज किया गया । जिसको दुरस्त कर अपीलांटगण के खातेदारी का रकबा पूरा दर्ज किया जाये । अपीलांटगण के प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 13–8–2007 के द्वारा अपीलांटगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाने पर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत की जाने पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25–6–2009 के द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि तहसीलदार सोजत से रेकर्ड की वस्तुस्थिति की जानकारी कर प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य का न्यायोंचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारित किया जाये । उक्त आदेश की पालना मे उपखण्ड अधिकारी सोजत ने पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–10–2014 के द्वारा

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए नक्शे को दुरस्त करने के आदेश पारित कर दिये तथा खतोनी मे कम दर्ज रकबे को जोडने का कोई आदेश पारित नही किया । जिस पर अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश दिनांक 17–10–2014 के विरूद्ध पुर्नविलोकन (रिव्यु) करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15–6–2017 द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र को सक्षम न्यायालय मे पुनः अपील दायर कर विधिसम्मत सहायता प्राप्त करने के विवेचन के साथ खारीज कर दिया जाने पर अपीलांटगण ने यह अपील निर्णय दिनांक 17–10–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित कथनो का परीक्षण करने पर अपीलांट की अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए गुणावगुण पर अध्ययन एवं रेकर्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील मे अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि का रकबा दुरस्त करने की जो इस्तदुआ की है, जिसके संबंध मे अपीलांट यह साबित करने मे असफल रहे है कि किस–किस खसरे से कितने–कितने रकबें की कमी हुई तथा क्योंकर। जिसके अभाव मे यह नही कहा जा सकता कि फला–फला खसरें का रकबा इस प्रकार किस सीमा तक बेशी करते हुए नवीन क्षेत्रफल निर्मित होगा, साबित नही कर पायें है । जहां तक धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे रेकर्ड दुरस्ती का प्रश्न है, वह उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय मे निस्तारित किया गया है फिर रिव्यु प्रार्थना पत्र पर इसमे पुनः विचार कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्याायलय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे नक्शे की त्रुटि को सुधारा जा चुका है । अतः अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं जरूरत नही रहती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–10–2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29–8–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर